

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 38 /2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त, 2018

सा.का.नि. .... (अ)- जहां कि यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "मेथीलीन क्लोराइड" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 24/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 मई, 2014, जिसे सा.का.नि. 347 (अ) दिनांक 21 मई, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और जो कि यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "मेथीलीन क्लोराइड" के आयात के बारे में है, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/15/2018-डीजीएडी, दिनांक 03 मई, 2018, जिसे भारत के, असाधारण, के भाग 1, खंड 1 में दिनांक 03 मई, 2018 को प्रकाशित किया गया था, के तहत सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार इस प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने की सिफारिश की है;

अतः अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में केन्द्र सरकार, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 24/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 मई, 2014, जिसे सा.का.नि. 347 (अ) दिनांक 21 मई, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 11, खंड 3 उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"3. यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "मेथीलीन क्लोराइड" के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में अधिसूचना संख्या 7/15/2018-डीजीएडी, दिनांक 03 मई, 2018, जिसे दिनांक 03 मई, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था के तहत प्रारंभ की गई समीक्षा में दिए गए निर्दिष्ट अधिकारी की सिफारिशों के अनुसरण में, पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2019 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी, बशर्ते कि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है या इसको अस्थगित नहीं रखा जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है" ।

[फाइल संख्या 354/199/2013-टीआरयू (पार्ट-1)]

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 24/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 मई, 2014 को सा.का.नि. 347 (अ), दिनांक 21 मई, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 11, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।